1

11/5/10 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प जातिवाना मे पेश हुई।
प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित।
दोनो पक्षो को सुना गया प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल वाद अदम पैरवी मे खारिज हुआ। इसलिए पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण गुणावगुणो पर निर्णित किया जावे।
प्रार्थी के उक्त तर्को का सरकारी पैरोकार ने विरोध किया और कथन किया की प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र परीसीमा कालावधि के बाहर प्रस्तुत किया है। धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का पेश नही किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र आगे नही चल सकता है।
सुना। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया। चूंकी प्रकरण अदम पैरवी मे खारिज हुआ। इसलिए प्रकरण पुनः नम्बर दर्ज कराने मे उचित प्रतीत

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
होता है ताकि कोई पक्षकार अपना पक्ष रखने से वंचित नहीं रहे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद संख्या 18/2001 पुनः अमल दरामद कराने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो। मूल वाद मे साथ नत्थी रहे। आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प मे लिखाया गया। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प......................	

Scanned by CamScanner